भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या **5662**

जिसका उत्तर शुक्रवार, 4 अप्रैल, 2025/14 चैत्र, 1947 (शक) को दिया जाना है।

डीएपी के उत्पादन में गिरावट

5662. श्री दरोगा प्रसाद सरोज:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का उत्तर प्रदेश सहित देश भर में डायमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) और यूरिया उर्वरकों की बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए कोई कदम उठाने का विचार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या उक्त उर्वरकों के उत्पादन में कोई गिरावट आई है, जिसके परिणामस्वरूप उनके बैग का वजन 50 किलोग्राम से कम हो गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में उर्वरकों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या नई फसलों की बुवाई/उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए पर्याप्त उर्वरकों के भंडारण या उत्पादन की सुविधा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): सरकार ने दिनांक 01.04.2010 से पोषकतत्व आधारित सब्सिडी(एनबीएस) नीति लागू की है। इस नीति के अंतर्गत, किसानों के लिए उर्वरकों की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए सब्सिडी प्राप्त पीएण्डके उर्वरकों पर उनके पोषकतत्वों जैसे कि नाइट्रोजन (एन), फास्फोरस (पी), पोटेशियम (के) और सल्फर (एस) की मात्रा के अनुसार वार्षिक/अर्ध-वार्षिक आधार पर तय की गई सब्सिडी की एक नियत राशि उत्पादक/आयातक को प्रदान की जाती है। एनबीएस स्कीम के तहत, पीएण्डके क्षेत्र विनियंत्रित है, उर्वरक कंपनियां बाजार के उतार-चढ़ाव के अनुसार उर्वरक कच्ची सामग्री, मध्यवर्तियों और तैयार उर्वरकों का आयात/उत्पादन करने के लिए स्वतंत्र हैं। एनबीएस स्कीम के तहत, उर्वरक कंपनियों को तर्कसंगत स्तरों पर एमआरपी निर्धारित करने की अनुमति है, जिसकी निगरानी सरकार द्वारा की जाती है। हाल ही के वर्षों में प्रमुख उर्वरकों और कच्चे माल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों की मूल्य अस्थिरता को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने पीएण्डके उर्वरकों के लिए वार्षिक/अर्ध-वार्षिक आधार पर एनबीएस दरें निर्धारित करते समय उतार-चढ़ाव, यदि कोई हैं, को सम्मिलित किया है।

सरकार ने 3346 करोड़ रुपये के अनुमानित वित्तीय निहितार्थ के साथ दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक की अवधि के लिए एनबीएस सब्सिडी दरों के अतिरिक्त प्रारंभ में 3,500 रूपए प्रति मीट्रिक टन की दर से डीएपी पर विशेष पैकेज अथवा वास्तविक लागू व्यय, जो भी कम हो, को मंजूरी दी है। "अन्य लागतों" के लिए इस प्रावधान को लगभग 2095.45 करोड़ रुपये के वित्तीय निहितार्थ के साथ अब खरीफ 2025 के लिए 01.04.2025 से 30.09.2025 तक बढ़ा दिया गया है। जारी भू-राजनीतिक स्थिति, वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी मांगों के मद्देनजर, पैकेज में किए गए विस्तार ने आयात और उत्पादन के माध्यम से डीएपी की उपलब्धता को सुनिश्चित किया है ताकि किसानों को लक्षित फार्मगेट मूल्य पर 1350 रुपये प्रति 50 किलोग्राम की बोरी की सतत आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। साथ ही, सब्सिडी में वृद्धि को अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्यों से भी जोड़ा गया है। इस प्रकार, यदि वैश्विक बाजार में डीएपी सहित पीएण्डके उर्वरकों के खरीद मूल्यों में वृद्धि होती है तो खरीद और उत्पादन सुनिश्चित किया जाता है।

किसानों को यूरिया सांविधिक रूप से अधिसूचित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर उपलब्ध कराया जाता है। यूरिया की 45 किग्रा बोरी की एमआरपी 242 रुपए प्रति बोरी (नीम लेपन के प्रभार और यथा लागू करों को छोड़कर) है। फार्म गेट पर यूरिया की सुपुर्दगी लागत और यूरिया इकाइयों द्वारा निवल बाजार प्राप्ति के बीच के अंतर को भारत सरकार द्वारा यूरिया उत्पादक/आयातक को सब्सिडी के रूप में दिया जाता है। तदनुसार, देश में सभी किसानों को यूरिया की आपूर्ति सब्सिडी प्राप्त दरों पर की जा रही है।

(ख): वर्ष 2022-23 में, यूरिया का उत्पादन 284.94 एलएमटी और डीएपी का उत्पादन 43.47 एलएमटी था। वर्ष 2023-24 में, यूरिया का उत्पादन 314.09 एलएमटी और डीएपी का उत्पादन 42.93 एलएमटी था। कुछ संपुष्ट उर्वरकों को छोड़कर, जो 40 किलोग्राम की बोरी में उपलब्ध हैं, 'एन', 'पी', 'के' और 'एस' पोषक तत्वों वाले सभी मिश्रित उर्वरक 50 किलोग्राम की बोरी में उपलब्ध हैं और यूरिया 45 किलोग्राम की बोरी में उपलब्ध है।

(ग): उत्तर प्रदेश में स्वदेशी यूरिया उत्पादन बढ़ाने के लिए, सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ 12.7 एलएमटीपीए की क्षमता का नया अमोनिया-यूरिया संयंत्र स्थापित करने के लिए नामित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संयुक्त उद्यम कंपनी के माध्यम से फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की गोरखपुर इकाई को पुनर्जीवित करने का अधिदेश दिया है। गोरखपुर इकाई को दिनांक 07.12.2021 से शुरू कर दिया गया है।

अनुरोधों के आधार पर, उत्तर प्रदेश में मैसर्स आयुष्मान फर्टिलाइजर प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स राम पोटाश प्राइवेट लिमिटेड की दो इकाइयों को हाल ही में पोषक-तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) स्कीम के अंतर्गत शीरे से प्राप्त पोटाश (पीडीएम) के उत्पादक के रूप में मान्यता दी गई है।

(घ): आगामी फसल की बुवाई/उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश में यथेष्ट रासायनिक उर्वरकों के भंडारण और उत्पादन की पर्याप्त सुविधा है। केन्द्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी) के पास उत्तर प्रदेश में 12.07 एलएमटी क्षमता के 59 गोदाम हैं, जिनका उपयोग उर्वरकों सहित कृषि उत्पाद के भंडारण के लिए किया जा सकता है।

*****